

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 113 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, रानीखेत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, रानीखेत के माह मई 2014 से फ़रवरी 2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनोज कुमार नेगी, श्री डी.के.मट्टू, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों, श्री मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं श्री नन्दन सिंह, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 05/03/2017 से 15/03/2017 तक में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री संजीव कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक एवं श्री गौरव गुप्ता, लेखापरीक्षा द्वारा दिनांक 27/05/2014 से 03/06/2014 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह जून 2009 से अप्रैल 2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह मई 2014 से फ़रवरी 2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:**

क्रियाकलाप:- नहरों/बाढ़ कार्यों का संचालन एवं मरम्मत कार्य कराते हुये कृषको को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना तथा क्षेत्रीय जनता को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जल संबर्धन कार्यों द्वारा लाभ पहुंचाना इत्यादि।

भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: ताड़ीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया, स्यल्दे, भिकियासैन, एवं सल्ट विकास खण्ड के अंतर्गत सिंचाई से संबंधित कार्य।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(१ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय		
2013-14			208034600	26739424			1295176	
2014-15			32882000	32471497			410503	
2015-16			33601000	33292108			338108	
2016-17 (02/2017 तक)			32954000	29105750				

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त (□ लाख में)	व्ययाधिक्य (□ लाख में (+))	बचत (□ लाख में (-))
2013-14	जनपद अल्मोडा के अंतर्गत स्यल्दे में सुरमोली नहर निर्माण	-	110.00	-	-
2014-15		-	-	-	-
2015-16		-	08.00	-	-
2016-17		-	-	-	-

	योग	-	118.00	-	-
--	-----	---	--------	---	---

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त (□ लाख में)	व्ययाधिक्य (□ लाख में (+))	बचत (□ लाख में (-))
2013-14	जनपद अल्मोड़ा के वि.ख. चौखुटिया में रंगनगनदी में गनाई से उडलीखान तक बाढ़ सुरक्षा कार्य	-	11.07	-	-
2014-15		-	395.32	-	-
2015-16		-	350.00	-	-
2016-17		-	95.55	-	-
	योग	-	851.94	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना, नाबार्ड एवं निक्षेप कार्यों के अन्तर्गत किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ब" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड
मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
मुख्य अभियन्ता
अधीक्षण अभियन्ता
अधिशाली अभियन्ता

- (iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खंड, रानीखेत के माह 05/2014 से 02/2017 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। आहरण एवं वितरण अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खंड, रानीखेत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं दिसम्बर 2014 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। विकास खण्ड, चौखुटिया में दैवीय आपदा के अंतर्गत ग्रा भानोटिया, रामपुर, सुनगढी, जमनिया, ताजपुर, रम्मनागांव, फुलई व धुधलिया को खचार नाले के बाढ़ से बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक किए गए व्यय के आधार पर किया गया।
- (v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।
- अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 17/10/2016 को निरीक्षण किया गया।
 - खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2016 तथा 09/2015 तक की गई।
 - फार्म 51: माह फ़रवरी 2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-

भाग प्रथम ` (-) 6960.00

भाग द्वितीय ` 406636.05

6. खण्ड के उच्चत लेखों के अवशेष माह फरवरी 2017 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 469758.00

(ख) सामग्री क्रय शून्य ।

(ग) नगद परिशोधन ₹ शून्य ।

(घ) निक्षेप ` 18252726.40

(ङ) भण्डार ` 636797.14

भाग-II (ब)

प्रस्तर:1- 15.87 लाख की अदावित धनराशि को व्यपगत निक्षेप में जमा न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 622 (III) में निहित प्रावधान के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष से अधिक समयावधि की अदावित धनराशि को व्यपगत निक्षेप के रूप में डाल दी जानी चाहिए।

अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2017) में पाया गया कि निक्षेप पंजिका के भाग-2 में 1587202.00 की धनराशि विगत 3 वर्षों से लेकर 21 वर्षों तक की अवधि की पड़ी हुयी थी जसे खण्ड द्वारा शासकीय खाते में व्यपगत निक्षेप के रूप में जमा नहीं कराया गया था।

उपरोक्त के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इस ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा दिया गया कि भाग-2 में जमा धनराशि DEFECT LIABILITY PERIOD के पश्चात ठेकेदार की मांग पर वापस की जाती है।

खण्ड का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा वित्तीय नियमानुसार 1587202.00 की अदावित धनराशि व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते में जमा नहीं कराई गई थी।

अतः 15.87 लाख की अदावित धनराशि को व्यपगत निक्षेप में जमा न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- संविदाकार के देयकों से □ 19251 लाख रायल्टी की कम कटौती किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग द्वारा दिनांक 07 अगस्त 2015 को जारी की गई अधिसूचना उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2015 के अनुसार नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स, बजरी/गिट्टी, बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण उत्पन्न मोरम/बालू/मिट्टी तथा विहित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न नदी तल में उपलब्ध साधारण बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इसमें से कोई भी मिली जुली अवस्था के लिए रायल्टी की दर □ 194.50 प्रति घन मीटर तुरन्त प्रवृत्त के लिए निर्धारित की गई थी।

अधिशाली अभियन्ता सिंचाई खण्ड रानीखेत की लेखापरीक्षा के दौरान माप पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा माप पुस्तिका संख्या 355, 379 एवं 390 में निर्माण संबंधी कार्यों पर रायल्टी की वसूली □ 90 प्रति घन मीटर की दर से की गई थी जबकि तत्समय रायल्टी की दरें □ 194.50 प्रतिघन मी. शासन द्वारा निर्धारित की गई थी। इस प्रकार से संलग्न विवरणानुसार उपरोक्त तीनों माप पुस्तिकाओं पर कुल □ 19251.00 धनराशि की कम कटौती की गई थी।

इस संबंध में विभाग से पूछने पर बताया गया कि शासनादेश की प्रति देरी से प्राप्त होने के कारण पुरानी दरों पर ही रायल्टी कटौती की गई, वर्तमान में नई दरों से ही रायल्टी कटौती की जा रही है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है। क्योंकि शासनादेशों में उक्त दरें तुरन्त प्रभाव से लागू की गयी थीं।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण

क्रम संख्या	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वर्ष	भाग-2 अ	भाग-2 ब	स्टेन
1.	84/1990-91	1,2	-	
2.	143/96-97	2	1,2	
3.	167/97-98	1	1,2,3,4,5	
4.	02/01-02	1	-	1,2
5.	05/02-03	-	-	1
6.	96/2004-05	1	-	1,4B
7.	56/2007-08	1	1,2	
8.	11/2014-15		1,2	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या:

निरीक्षण संख्या	प्रतिवेदन संख्या	लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
					उच्चाधिकारियों की संस्तुति के अभाव में अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, रानीखेत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएं: शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया
क्रम सं० नाम पदनाम
(i) श्री शिव नारायण सिंह अधिशासी अभियन्ता
(ii) श्री संजय शुक्ला अधिशासी अभियन्ता
4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे।

1. श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खंड, रानीखेत को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2

